


OFFICE OF DIRECTOR HIGHER EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER

Order No:- KW 1/59-2018 Ad (3)

Date Panchkula 06-9-19

A copy of letter No. 6/2/1989-2NGIS dated 30.07.2019 and 21.8.2019 received from Under Secretary, Protocol, O/o Chief Secretary to Govt. Haryana "नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किये जाने बारे" is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 All the Principals of Government Colleges in the State.
- 2 All the Commanding Officers, NCC Units in the State.
- 3 Registrar, Kurukshetra University, Kurukshetra/Maharishi Dayanand University, Rohtak/Chaudhary Devi Lal University, Sirsa/Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan (Sonapat)/Indira Gandhi University, Meerpur (Rewari)/Chaudhary Ranbir Singh University, Jind/Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani, Bhiwani, Gurugram University, Gurugram, B.R. Ambedkar National Law University, Rai (Sonapat), Balmiki Sanskrit University, Mundri, Kaithal.
- 4 All the Librarians of District Libraries/Sub Divisional Libraries in the State of Haryana / Librarian.



Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula 1

Endst. No.- Even

Dated, Panchkula 06-9-19

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 PS/DHE, Steno/Additional Director Admn.
- 2 Superintendent College-I,II, IV, Library, ME is requested to take further necessary action at your end, and ensure compliance these instructions.
- 3 All the Assistants of Admin Branch.


Superintendent Administration,
for Director Higher Education,
Haryana, Panchkula 1

Acs Higher Edm

452 ADG
21.9.19

अति आवश्यक
तिथिबद्ध

क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेलफेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निवेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019, 12-07-2019 तथा 30.07.2019 की ओर दिलाते हुए सूचित करूँ कि सरकार द्वारा वांछित सूचना कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (कुछ विभागाध्यक्षों को छोड़कर) । अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 28-08-2019 तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा इसकी एक प्रति कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें ।

SKhan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

SKhan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019

पू0 क्रमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़ 21 अगस्त, 2019

जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

SKhan

अवर सचिव, प्रोटोकॉल

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

Dr. Nigam Sdm

439 G/A
21/8/19

CFMS No. 24271 Date 07/08/19
O/o DHE Hr. PKL

अति आवश्यक
तिथिबद्ध

कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिंसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2019

विषय:-

नई सामूहिक बीमा योजना, 1985 के मुख्य शीर्ष 2235-सोशल सिक्योरिटी तथा वेल्फेयर-उप शीर्ष-200-अण्डर स्कीम-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बीमा अंशदान के अंतर्गत Book Adjustment न किए जाने बारे ।

श्रीमान/श्रीमती,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान सरकार के पत्र कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-05-2019 तथा दिनांक 12-07-2019 की ओर दिलाऊँ कि सरकार द्वारा वांछित सूचना आप की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपने अधीन कार्यरत श्रेणी IV के कुल सरकारी कर्मचारियों की समेकित संख्या (H.O. and field) तथा उनकी मासिक तौर पर सरकार द्वारा की जाने वाले अंशदान (10/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से) की समेकित सूचना (अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक) (मासिक तौर पर) 16-08-2019 तक संलग्न प्रोफार्मा में सकारात्मक तौर पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, एन0जी0आई0एस0 शाखा, नव सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ़ को भिजवाने का कष्ट करें तथा इसके साथ-साथ उपरोक्त सूचना कार्यालय के ई-मेल ngiscs2013@gmail.com पर तुरन्त भिजवाएं ।

अवर सचिव, प्रोटोकॉल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अवर सचिव, प्रोटोकॉल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक, चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2019
पू0 कमांक 6/2/1989-2एन0जी0आई0एस0 दिनांक, चण्डीगढ़ 30 जुलाई, 2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।
- 2 प्रधान महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0), हरियाणा ।

अवर सचिव, प्रोटोकॉल
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

DHE & Co.
No. 4895
Date 15/8/19

DHE (OT)
08/08/19

DATA
AA Admn

13/8/19

14/8/19
15/8/19

MV
22/8
R